2020-21

नैक द्वारा "B" ग्रेड प्रदत्त

GOVERNMENT MADAN LAL SHUKLA COLLEGE

SEEPAT, DIST. BILASPUR (C.G.) 495555

प्रवेश विवरणिका

INFORMATION & ADMISSION BROCHURE

Website : www.gmlscollege.ac.in

Tel. 07752-265050, E-mail : gmlscseepat@gmail.com

प्राचार्य की कलम से .....

प्रिय,

विद्यार्थियों .....

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा 'बी' ग्रेड प्राप्त यह महाविद्यालय इस क्षेत्र का अग्रण्य शिक्षा का केन्द्र है। यह संस्थान अपने आविर्भाव काल से ही निरंतर उत्कर्ष की ओर अग्रसर है। इस प्रक्रिया में समयानुसार पठन और पाठन के तरीकों में आपेक्षित परिवर्तन कर अकादमिक व्यवस्था को अधुनातन रूप दिया जा रहा है। आज आधुनिकता की दौड़ में नवीन तकनीकी, शिक्षा के अनेकानेक पहलुओं को वैविध्यपूर्ण आयाम के साथ प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को नवीनता, विशिष्टता और संपूर्णता का बोध करा रही है। प्रयास रहेगा कि, विद्यार्थियों को नवीन तकनीकी के प्रवाह में शामिल होने योग्य बनाया जा सके। इस महाविद्यालय के सभी संकायों में विद्वान प्राध्यापक गण पदस्थ हैं और सबका उद्देश्य आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर, चुनौतियों का सामना करके योग्य बनाना और इच्छित लक्ष्य को हासिल करने में आपका सहयोग करना है। यह कार्य तब ही संभव हो सकेगा, जब आप अध्ययन के साथ-साथ, एन.एस.एस., खेलकूद, रेडक्रॉस एवं अन्य गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर महाविद्यालय की उन्नति में योगदान करें। यह आपका अपना महाविद्यालय है, इसकी प्रत्येक उपलब्धि आपकी है, इसे स्वच्छ एवं हरा-भरा बनाये रखने की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी है।

लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उच्चतम सोपानों की ओर अग्रसर होने में आपका सहयोग हमें मिलेगा।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ .....

डॉ.आई.पी.गुप्ता

प्राचार्य

शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय

सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495555

नैक द्वारा "B" ग्रेड प्रदत्त

अटलबिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

से सम्बद्ध

प्रवेश विवरणिका

प्राचार्य एवं संरक्षक :

डॉ. आई. पी. गुप्ता

GOVERNMENT MADAN LAL SHUKLA COLLEGE, SEEPAT

Dist. Bilaspur (C.G.) 495555

Website. : www.gmlscollege.ac.in, E-mail : gmlscseepat@gmail.com

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

स्व. मदन लाल शुक्ल : एक परिचय

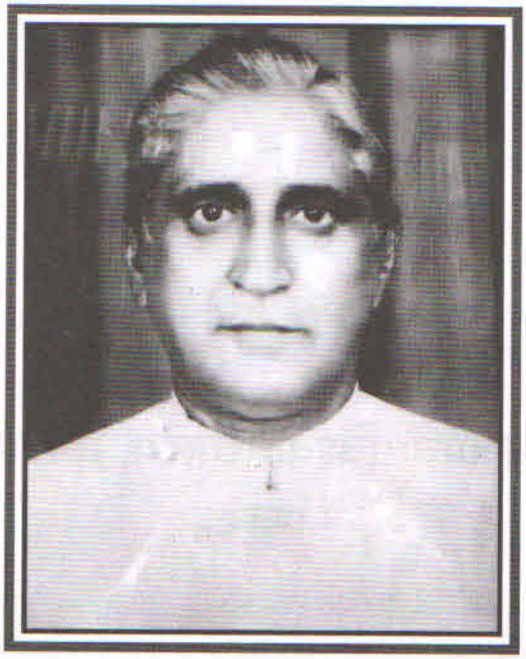

स्व. श्री मदनलाल शुक्ल जी का जन्म कामठी, जिला - नागपुर (महाराष्ट्र) में श्री वासुदेव शुक्ल के परिवार में 1928 को हुआ । उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिसिपल हाईस्कूल, बिलासपुर से व महाविद्यालयीन शिक्षा एस.बी.आर. कला महाविद्यालय बिलासपुर एवं सागर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) से प्राप्त की । आपने बी.ए, एल.एल.बी. की उपाधि प्राप्त की । स्व. शुक्ल जी छठवीं लोक सभा के मध्यप्रदेश - जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के निर्वाचित सांसद रहे ।

प्राचार्य

सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	महाविद्यालय : संक्षिप्त परिचय	1
2.	Help Desk	2
3	महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय, समूह एवं संकाय	3
4	विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान	5
5	उच्च शिक्षा विभाग नीति एवं महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश के लिए मार्गदर्शिका	6-15
6.	प्रवेश संबंधी अन्य आवष्यक जानकारियां	16-18
7.	शुल्क विवरण	19-20
8.	महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध सुविधाएं	21
9.	महाविद्यालय संबंधी जानकारियां	22-23
10.	छ.ग. के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता	24
11.	रैगिंग संबंधी परिनियम	25
12.	महिला उत्पीड़न	26
13.	महाविद्यालयीन परिवार	27

संलग्न : 1. प्रवेश फार्म एवं शपथ पत्र

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

हेल्प डेस्क

शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के विभिन्न संकायों/समस्याओं के समाधान एवं मार्गदर्शन हेतु हेल्प डेस्क स्थापित की गई है । हेल्प डेस्क प्रकोष्ठ के प्रभारी निम्नानुसार है :-

1. प्रभारी अधिकारी हेल्प डेस्क (संयोजक) - डॉ. रघुनंदन पटेल, सहायक प्राध्यापक - गणित
2. सदस्य - प्रो. नीना बखारिया, सहायक प्राध्यापक - समाजशास्त्र
3. सदस्य - प्रो. श्वेता पंड्या, सहायक प्राध्यापक - अंग्रेजी
4. छात्रसंघ के प्रतिनिधि (सदस्य) - सत्र 2019-20 में छात्रसंघ मनोनयन के प्रतिनिधि

हेल्प डेस्क में विचार किए जाने वाले विषय –

1. विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन परीक्षा से संबंधित ।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी ।
3. खेलकूद गतिविधि संबंधी ।
4. छात्रावास संबंधी ।
5. कैंटीन संबंधी ।
6. ग्रंथालय संबंधी।
7. विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति जैसे - बी.पी.एल. पोस्ट मेट्रिक, एकीकृत छात्रवृत्ति, सैन्य छात्रवृत्ति इत्यादि।
8. बी.पी.एल. बुक बैंक योजना ।
9. छात्र/छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करने संबंधी ।
10. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी संबंधी ।
11. सायकल स्टैण्ड संबंधी ।
12. रैगिंग संबंधी शिकायत ।
13. प्रयोगशाला संबंधी ।
14. प्रसाधन कक्ष संबंधी ।
15. अध्यापन कक्षों की साफ-सफाई संबंधी ।
16. एन.सी.सी./एन.एस.एस. संबंधी गतिविधियां ।
17. कॉमन रूप संबंधी इत्यादि ।

- हेल्प डेस्क के माध्यम से छात्र/छात्राओं की समस्या का त्वरित निदान किया जावे।
- हेल्प डेस्क में आवेदन मौखिक/लिखित दोनों रूप में हो सकते हैं । हर तरह के आवेदन को पंजीबद्ध करें।
- हेल्प डेस्क में आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं की समस्या को सुलझाने में सकारात्मक रूप अपनाया जाये।

नोट -हेल्प डेस्क प्रति कार्य दिवस Recess के दौरान 1 घंटे खुले रहेंगें ।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

GOVERNMENT MADANLAL SHUKLA COLLEGE SEEPAT, DISTRICT BILASPUR : AN OVERVIEW

Government Madanlal Shukla College Seepat has been established in the year 1986 with only 07 students in rented building. Withe times and in the process of continous development today college has a land area of 24 acres and building with sufficient resources of its own and number of student reaching upto 1200 out of which 60 percent are girls.

The primary motive of the institution is to impart quality education and to train the youth to take up the future challenges of evolving India. Students being the glory of the college are encouraged to participate in various co-curricular and extra co-curricular activities. The inspired and dedicated faculty members as well as office staff put up their best to provide congenial and amicable atmosphere of learning.

AIM-HIGH is the motto of the institution. The college is committed towards the academic excellence. The college caters the need of all three faculties of arts, science and commerce. College is successfully executing post-graduate classes in all major subjects and professional courses in Computer Science and Social Master work.

The institution has achieved **'B'** grade in **National Assessment and Accrediatation Council of UGC (NAAC)** which is very prestigious for the college situated in Rural and agricultural belt. And this is just a begining. Every member of the institution is striving hard for the bettermentt and growth of the college and students.

So lets be hand in hand everyone and believe in.

"You must never doubt your ability to achieve anything, become anything, overcome anything and inspire everything.

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय

1. बी.ए. भाग 1 में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार ग्रुप बनाये गये है जिनमें से तीन ग्रुप से एक-एक विषय चयन कर सकते है -

   अ. अनिवार्य विषय आधार पाठ्यक्रम : 1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा 3. पर्यावरण

   ब. अधोलिखित विषय समूह में से किन्हीं तीन समूह से चयन करना है । एक विषय समूह से केवल एक ही विषय का चयन करना है ।

   विषय समूह

   1. समाजशास्त्र
   2. राजनीति विज्ञान/गृह विज्ञान
   3. हिन्दी साहित्य/संस्कृत साहित्य
   4. अर्थशास्त्र
   5. भूगोल
   6. इतिहास/अंग्रेजी साहित्य

2. **बी.ए. भाग-II का पाठ्यक्रम**

   बी.ए. पूर्व में वे ही विषय लेने होंगें, जो बी.ए. प्रारंभिक में लिये गये थे ।

3. **बी.ए. भाग-III का पाठ्यक्रम**

   बी.ए. तृतीय में वे ही विषय लेने होंगें, जो बी.ए. पूर्व में लिये गये हो एवं महाविद्यालय के विषय समूह के अंतर्गत हो।

वाणिज्य संकाय

1. **बी.काम. भाग - I :-**

   अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन

   ब. अनिवार्य समूह -
   1. वित्तीय लेखांकन एवं व्यावसायिक गणित
   2. व्यावसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियमन रूपरेखा
   3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. **बी.कॉम. भाग - II :-**

   अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

   ब. अनिवार्य समूह -
   1. नियमित लेख एवं लागत मूल्यांकन
   2. व्यावसायिक सांख्यिकीय एवं उद्यमिता के तत्व/ सिद्धांत
   3. व्यवसाय प्रबंध एवं कंपनी अधिनियम

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सापत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

3. बी.कॉम. भाग - III :-

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह

1. आयकर (प्रत्यक्ष कर) 2. अप्रत्यक्ष कर 3. प्रबंधकीय लेखांकन
4. विपणन के सिद्धांत 5. अंतर्राष्ट्रीय विपणन 6. अंकेक्षण

(भविष्य में यदि बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा विषय समूह में परिवर्तन किया जाता है तो वही मान्य होगा)

विज्ञान संकाय

1. बी.एस-सी. भाग - I :-

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन

ब. **वैकल्पिक समूह - (गणित/बायो समूह)**

1. गणित समूह - भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
2. बायो समूह - रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र

2. बी.एस-सी. भाग - II :-

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. गणित/बायो समूह - पूर्ववत

3. बी.एस-सी. भाग - III :-

अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

ब. अनिवार्य समूह - वैकल्पिक (गणित/बायो समूह) पूर्ववत्

--00--

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान

स्नातक

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
बी.ए.	200	200	200
बी.कॉम.	50	50	50
बी.एस-सी./बायो	50	50	50
गणित	50	50	50
बीसीए	50	50	50

स्नातकोत्तर

कक्षा	पूर्व	अंतिम
एम.ए. हिन्दी	40	40
एम.ए. समाजशास्त्र	40	40
एम.ए. राजनीति विज्ञान	40	40
स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित		
एम.ए. अंग्रेजी साहित्य	30	30
एम.ए. इतिहास	30	30
एम.ए. अर्थशास्त्र	30	30
रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम		
बी.सी.ए.	40	40
डी.सी.ए.	40	40
पी.जी.डी.सी.ए.	40	40
एम.एस.डब्ल्यू. पूर्व एवं अंतिम	30	30

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत 2020-21

1. प्रयुक्ति :

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करना :

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेगा । जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे । ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगें ।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा कराना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगें ।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितम्बर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगें । (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी । कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा ।

प्राचार्य
शासकीय एम. एल. एस. महाविद्यालय
पीपत जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

स्पष्टीकरण :-

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेष नहीं दिया जा सकता ।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अंतर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगें।

4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/-अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये । स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।

4.7 ''राज्य शासन, द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

क. बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ एम.एस.-सी (गृहविज्ञान)/एम.ए. पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.-सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष /प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल. एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

क. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत) होगी तथा विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगें ।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षायें में मा.शि.मं. की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा ।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार -

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है । जैसा एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र

प्राचार्य
शा.पदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से संबंध है । वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे है । ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगें । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें ।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी./बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों/ स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तष्तीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदाकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नही होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

9. प्रवेश हेतु अर्हताऐं :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि.शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो /या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/ चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश की आयु सीमा :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जायेगी ।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है ।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड.) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी । निःशक्त अभ्यर्थी आवेदकों के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायो के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी ।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :--

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क., ख. तथा ग. के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा ।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क, ख, तथा ग के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें । निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगें।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointements." का कड़ाई से पालन किया जाए ।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए-सर्टिफिकेट	- 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	- 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	- 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	- 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	- 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट	- 10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	- 10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट/ एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को	- 15 प्रतिशत

प्राचार्य
शा. मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर - 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 04 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 05 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को - 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को - 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को - 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग.शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में-

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को - 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/ स्पोटर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि-

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

प्राचार्य
शा.पदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी-एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दयित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन /निरसन/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल मह
सीपत, जिला बिलासपुर

प्रवेश संबंधी अन्य आवश्यक जानकारियाँ

प्रवेश तिथि :

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रा को प्रवेश समिति के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है । प्रवेश समिति द्वारा छात्राओं की योग्यता प्रवीणता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र-छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा ।

प्रवेश सूची में नाम आने पर छात्र/छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना होगा।

प्रवेश पात्रता :-

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र-छात्रा प्रवेश पा सकेंगे-

1. बी.ए. एवं बी.काम भाग -1

   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. बी.ए. एवं बी.काम भाग -2

   क. बी.ए./बी.काम भाग-1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. बी.ए. एवं बी.काम भाग -3

   क. बी.ए./बी.काम भाग-2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

4. बी.एस.सी. प्रथम/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष

5. बी.सी.ए.- प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष /पीजीडीसीए

   प्रवेश की पात्रता, प्राप्तांक 45 प्रतिशत आवश्यक है।

प्रवेश नियम :-

1. महाविद्यालय में प्रत्येक कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।

2. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

   (1) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate)

   (2) अंकसूची (10वीं बोर्ड से लेकर अंतिम परीक्षा दो प्रतियों में) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि/फोटो स्टेट कापी।

   (3) चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)

प्राचार्य
शा.पदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

नियमित छात्राओं को पूर्व के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्राओं के लिए किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ही संलग्न करें।

(4) प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मूल प्रति बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिए।

(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) पासपोर्ट आकार के तीन चित्र।

(7) जाति प्रमाण पत्र केवल अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

(8) जन्म तिथि प्रमाण पत्र इसके लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी ।

नोट :

1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश सूचना प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।
3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।
4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपात्र घोषित कर सकते है।
5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्रा का प्रवेश स्थाई समझा जायेगा।महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से वंचित कर दे या प्रवेश ही रद्द कर दे।
6. जिस छात्र का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा। इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिए।
7. आवेदन पत्र में छात्रा का नाम सही होना चाहिये जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र या अंकसूची में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र /छात्रा को पांच रूपये के नान ज्युडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना होगा।
8. छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

परिचय पत्र (Identity Card) :-

1. परिचय पत्र महाविद्यालय के छात्राओं के लिये अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यालय में देना आवश्यक होगा, ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्रा को प्राप्त हो सके।
3. परिचय पत्र को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र-छात्राओं का कर्त्तव्य है।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय, प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छात्राओं को परिचय पत्र साथ रखना होगा।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्रा को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्रा दण्ड की अधिकारी होगा।

7. परिचय पत्र खो जाने पर 50/- रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु नया परिचय-पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

शुल्क विनिमय :-

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।

2. एक बार किसी छात्रा का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।

3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।

4. छात्राओं को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्रा या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोड़ने हेतु नियम :-

यदि कोई छात्रा मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) समस्त शुल्कों को अनिवार्यतः जमा करना होगा।

(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

(द) संस्था छोड़ने के बाद छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

(च) निःशेष प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र या आचरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 50/- रूपये जमा करना होगा।

(ज) अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी प्रथम प्रवेश की रसीद प्रस्तुत करें। अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।

(झ) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति हेतु एफ.आई.आर. की प्रति एवं शपथपत्र जमा करना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय नामांकन : (नवीन छात्र/छात्राओं हेतु अनिवार्य) :-

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्रा का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा।

2. स्नातकोत्तर कक्षाओं की छात्राओं के लिए नामांकन एवं परीक्षा फार्म पृथक से स्वशासी प्रकोष्ठ में उपलब्ध होगा जिसे छात्राओं को स्वयं प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

शुल्क विवरण (FEE DETAILS)

क्र.	अशासकीय शुल्क	बी.ए., बी.कॉम., बीसी.ए.			एम.ए.	एम.ए.
		भाग-1	भाग-2	भाग-3	पूर्व	अंतिम
1.	छात्र संघ प्रवेश शुल्क	02.00	02.00	02.00	02.00	02.00
2.	निर्धन छात्र कल्याण	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00
3.	परिचय पत्र + लाईब्रेरी कार्ड	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
4.	सम्मिलित निधि	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
5.	सोशल गेदरिंग	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00
6.	चिकित्सा शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00
7.	छात्र कॉमन रूम	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
8.	महाविद्यालय विकास शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
9.	रेडक्रास शुल्क	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
10.	कॉशन मनी	100.00	-	-	100.00	-
11.	जनभागीदारी शुल्क	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
12.	छात्र कल्याण	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
13.	पुस्तकालय शुल्क	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
14.	शारीरिक कल्याण	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
15.	युवा गतिविधि	02.00	02.00	02.00	02.00	02.00
16.	वि.वि. छात्र संघ यूनियन	02.00	02.00	02.00	02.00	02.00
17.	सायकल स्टैण्ड शुल्क	100.00 प्रति छात्र				
18.	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	योग -					
शासकीय शुल्क :-						
1.	शिक्षण शुल्क	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
2.	प्रायोगिक शुल्क (बी.एस.सी. भाग-एक, दो, तीन एवं बी.ए. भूगोल, बी.ए. गृह विज्ञान, बी.सी.ए. प्रथम)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3.	प्रवेश शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00
4.	लेखन सामग्री शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

शुल्क विवरण *(FEE DETAILS)*

स्ववित्तीय/व्यवसायिक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

क्र.	शुल्क (स्ववित्तीय)	भाग-1	भाग-2	भाग-3
1.	बी.ए. भूगोल	3000.00	3000.00	3000.00
2.	बी.ए. संस्कृत	2000.00	2000.00	2000.00
3.	बी.ए. गृह विज्ञान	3000.00	3000.00	8000.00

व्यवसायिक पाठ्यक्रम

क्र.	शुल्क (स्ववित्तीय)	भाग-1	भाग-2	भाग-3
1.	बी.सी.ए.	शास. नियमानुसार	शास. नियमानुसार	16000.00
2.	डी.सी.ए.	10000.00	-	-
3.	पी.जी.डी.सी.ए.	16000.00	-	-
4.	एम.एस. डब्लयू	14500.00	15000.00	-

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

क्र.	शुल्क	सेमेस्टर 1+2	सेमेस्टर 3+4
1.	एम.ए. हिन्दी (शासकीय)	शासकीय नियमानुसार	
2.	एम.ए. समाजशास्त्र (शासकीय)	शासकीय नियमानुसार	
3.	एम.ए. राजनीति शास्त्र (शासकीय)	शासकीय नियमानुसार	
4.	एम.ए. अंग्रेजी (स्ववित्तीय)	5000.00	5000.00
5.	एम.ए. इतिहास (स्ववित्तीय)	5000.00	5000.00
6.	एम.ए. अर्थशास्त्र (स्ववित्तीय)	5000.00	5000.00

नोट :-
1. प्रवेश के समय स्ववित्तीय शुल्क दो-तिहाई जमा करना अनिवार्य है।
2. शेष शुल्क अक्टूबर माह के अंत में अनिवार्य रूप से जमा करें अन्यथा परीक्षा की पात्रता नहीं होगी।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध सुविधायें

1. **शैक्षणिक संरचनात्मक सुविधायें :**

   - ※ सुसज्जित अध्यापन कक्ष ※ पूर्ण सुसज्जित कम्प्यूटर लैब
   - ※ पूर्ण सुसज्जित व्याख्यान कक्ष : एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, टी.वी., सी.डी. प्लेयर, स्लाईड प्रोजेक्टर आदि सुविधा उपलब्ध । स्मार्ट क्लास ।
   - ※ कान्फ्रेंस हाल ※ विभागीय ग्रंथालय/संदर्भ ग्रंथालय
   - ※ यू.जी.सी./नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर

2. **ग्रंथालय/वाचनालय :**

   - ※ पाठ्य एवं संदर्भ ग्रंथों से सुसज्जित संपन्न ग्रंथालय।
   - ※ समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकायें एवं शोध पत्रिकायें, जर्नल्स की उपलब्धता ।
   - ※ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क बुक बैंक की पुस्तकें ।
   - ※ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकायें ।
   - ※ सुसज्जित वाचनालय
   - ※ पिछले वर्षो के वि.वि. परीक्षाओं के प्रश्न पत्र ।

3. **खेलकूद**

   - ※ खेल एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के स्वतंत्र प्रशासनिक कक्ष ।
   - ※ जिमनेजियम ।
   - ※ खेल-मैदान : खो-खो, कबड्डी, बालीबॉल, हैंडबाल, बास्केटबाल, बैडमिंटन, हॉकी, सह 200 मीटर ट्रेक एवं मिनी स्टेडियम ।

4. **पेयजल एवं प्रसाधन :**

   - ※ शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्था ।
   - ※ छात्र/छात्रा, पुरूष/महिला, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये पृथक-पृथक प्रसाधन व्यवस्था । छात्रा कामन रूम ।

5. अग्निशमन यंत्र की सुविधा महाविद्यालय में उपलब्ध है।

6. **छात्रवृत्तियां एवं शिष्य वृत्तियां :**

   - ※ अनुसूचित जाति-जनजाति (एस.सी./एस.टी.) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी) को दी जाने वाली शिष्य वृत्तियां (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)
   - ※ गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) छात्रवृत्तियां
   - ※ प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिये शासकीय छात्रवृत्तियां
   - ※ शारीरिक रूप से निःशक्त जन (फिजिकली चैलेन्ज) हेतु छात्रवृत्तियां।

7. महाविद्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा हुआ है।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारियाँ

क्रीड़ा :-

महाविद्यालय में निम्नलिखित खेलों की सुविधाएं है : 1. फुटबाल 2. क्रिकेट 3. हॉकी 4. बॉलीबाल 5. टेबल टेनिस 6. बैडमिंटन 7. कबड्डी 8. खो-खो एवं एथलेटिक्स । साथ ही आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित व्यायामशाला (जिम) की सुविधा ।

विद्यार्थियों को शासकीय/विश्वविद्यालयीन नवीनतम नियमों/निर्देशों के अनुसार अंतर्महाविद्यालयीन/ अंतर्विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अवसर उपलब्ध है । आवश्यक जानकारी क्रीड़ा अधिकारी से प्राप्त कर सकते है ।

एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) :-

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की एक एन.एस.एस. इकाई कार्यरत है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत एवं किसी भी प्रकार के समानुकूल समाज सेवा कार्य करते हैं । सात दिवसीय वार्षिक शिविर भी आयोजित होता है । 240 घंटे का राष्ट्रीय सेवा योजना कार्य पूर्ण होने पर, विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है । एन.एस.एस. में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र विद्यार्थी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त कर सकते है ।

पुस्तकालय :-

अ. स्नातक कक्षा के विद्यार्थियों को 15 दिन के लिए दो पुस्तकें केन्द्रीय पुस्तकालय से निर्गमित की जाती है, तथा स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थियों को विभागीय ग्रंथालय से पुस्तकें निर्गमित की जाती है । पुस्तकें निर्धारित समय पर वापस नहीं किये जाने पर एक रूपया प्रतिदिन की दर से दण्ड देय होगा ।

ब. वाचनालय में समयानुकूल उत्तम पत्र/पत्रिकाएं, सामान्य ज्ञान एवं रूचि की एवं शोध पत्र-पत्रिकायें पढ़ने हेतु उपलब्ध रहती है ।

पुस्तकालय संबंधी अन्य जानकारी ग्रंथपाल से प्राप्त कर सकते है।

टीप :-

1. वाचनालय/पुस्तकालय में शांति भंग करने, सामग्री को नुकसान पहुंचाने वाले विद्यार्थी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है।
2. विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त वर्तमान सत्र का परिचय पत्र (आई कार्ड) दिखाकर ग्रंथालय कार्ड पर ही पुस्तकें निर्गमित की जावेगी ।

बुक बैंक :-

शासन की सहायता से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये महाविद्यालय में बुक बैंक गठित है, जहां से विद्यार्थियों को एक संपूर्ण सत्र के लिये निःशुल्क पुस्तकें निर्गमित की जाती है। विद्यार्थियों को इस हेतु ग्रंथपाल से आवश्यक प्रपत्र प्राप्त कर भरना पड़ता है एवं जाति प्रमाण पत्र/परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। पुस्तकें खो जाने, क्षतिग्रस्त होने पर विद्यार्थी को उसकी पूर्ति करनी आवश्यक है।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष :-

शासन द्वारा निर्मित नियमों/निर्देशों के अनुरूप इस कोष की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य निर्धन/जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक/लघु आवश्यकताओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

परिचय पत्र :-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर परिचय पत्र संबंधित परिचय पत्र प्रभारी प्राध्यापक/प्राचार्य से बनवाना अनिवार्य है । महाविद्यालय परिसर में आयोजित विविध गतिविधियों/कार्यक्रमों/अवसरों पर प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा । (परिचय पत्र गुम होने पर कार्यालय में 50/- रूपये जमा कर परिचय पत्र विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं।) परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही ग्रंथालय से पुस्तकें निर्गमित की जावेगी ।

भैषजिक परीक्षण :-

महाविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को भैषजिक परीक्षण कराना होगा । यह जांच किसी चिकित्सक द्वारा प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर की जावेगी ।

उपस्थिति :-

प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति, प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है । खेलकूद/सांस्कृतिक गतिविधियों एवं अन्य विशेष कारणों से प्राचार्य उपस्थिति में 15 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान कर सकते हैं किन्तु किसी भी परिस्थिति में 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी । 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर परीक्षा आवेदन पत्र, परीक्षा प्रवेश पत्र एवं परीक्षा परिणाम निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

सूचना का अधिकार :-

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रशासन में पारदर्शिता के दृष्टिकोण से सूचना का अधिकार सामान्य नागरिकों को महाविद्यालय में प्रदान किया गया है । सूचना के अधिकार के तहत कोई भी नागरिक आवेदन देकर एवं निर्धारित शुल्क जमा कर महाविद्यालय के निम्नलिखित अभिलेखों का अवलोकन कर सकता है एवं संबंधित अभिलेखों को अभिप्रमाणित प्रति भी प्राप्त कर सकता है ।

1. महाविद्यालय को प्रवेश संबंधी सूची/रजिस्टर/अन्य संबंधित अभिलेख
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति की सूची/रजिस्टर अन्य संबंधित अभिलेख
3. ग्रंथालय की पुस्तकों/बुक बैंक की पुस्तकों की सूची/रजिस्टर एवं अन्य संबंधित अभिलेख
4. कार्यालय/संस्था में उपलब्ध भंडार पंजी ।

जनभागीदारी समिति :-

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुसार गठित जनभागीदारी समिति इस संस्था के सर्वांगीण विकास में सक्रिय एवं सफल भूमिका अदा कर रही है । इस प्रकार महाविद्यालयीन विकास में जन प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों का निःस्वार्थ सहयोग एवं कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

--00--

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा ।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यर्सन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है । विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी ।
8. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं होगा ।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा ।

अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा ।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक् कर दिया जायेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति से सम्मुख करेंगें ।

प्राचार्य

हा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिये विशेष परिनियम :

1. यह विशेष विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा है ।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगें । परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा ।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा :
   - अ. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना ।
   - ब. मानसिक आघात जैसे मानसिक कलेश पहुंचाना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना ।
   - स. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना ।
   - द. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना-चिल्लाना आदि।
4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा । ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्राक्टोरियल बोर्ड को सौंपेंगे । इसमें चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगें। इस हेतु प्राक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहूत की जायेगी । बैठक की सूचना, सूचना बोर्ड में मनोनीत वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी । यह वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी । यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगें ।
5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगें ।
6. प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगें । दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा ।
   1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन ।
   2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या/एवं विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक ।
   3. दोषी छात्र को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा । यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा ।
   4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगें और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा ।
   5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा ।
   6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस की सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा ।

   इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आवश्यक होगा ।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून

1. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, जो अरूचि कर यौन भावना से प्रेरित हो ।
2. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयत्न ।
3. यौन अनुग्रह की मांग ।
4. यौन अर्थ से रंजित फब्तियाँ ।
5. अश्लील चित्र दिखाना ।
6. कोई अन्य अरूचिकर यौन भाव वाला शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक संपर्क
7. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये ।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों को चेतावनी, धमकी देकर किया जायये ।
9. ऐसा यौन उत्पीड़न जो देश या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जाये ।
10. छेड़खानी करना ।
11. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करने का प्रयत्न करना ।
12. भद्दा मजाक करना ।
13. फोन पर अश्लील बातचीत करना ।
14. इच्छा के विरूद्ध करना, उसकी निजता का उल्लंघन करना ।
15. किसी भी प्रकार की ज्यादती करना ।

आदि संबंधी अपराधन होने पर प्रमुख निकटस्थ पुलिस थाना, महिला थाना तथा राज्य महिला आयोग को सूचित करें ।

"राज्य महिला आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़
द्वारा महिलाओं के हित में प्रसारित"

प्राचार्य
श्री मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

महाविद्यालयीन अधिकारी एवं कर्मचारीगण

क्र.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. दिनेश पाण्डेय	प्राचार्य
2.	श्रीमती नीना बखारिया	सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र
3.	डॉ. दिनेश पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक इतिहास
4.	डॉ. रघुनंदन पटेल	सहायक प्राध्यापक गणित
5.	श्रीमती श्वेता पंड्या	सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी
6.	डॉ. हीरालाल शर्मा	सहायक प्राध्यापक हिन्दी
7.	डॉ. संतोष बाजपेयी	क्रीड़ाधिकारी
8.	डॉ. श्रीकांत मोहरे	ग्रंथपाल
9.	डॉ. मुरलीधर स्वर्णकार	सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र
10.	श्रीमती अदिति गौतम	सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र
11.	डॉ. शुभ्रा मिश्रा	सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
12.	श्री रामप्रसाद चन्द्रा	सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र
13.	डॉ. के. वेणु आचारी	सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र
14.	श्री जीवन प्रभाकर गोरे	सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
15.	श्रीमती श्वेता जायसवाल	सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र
16.	श्री प्रकाश कुमार यादव	सहायक प्राध्यापक गणित
17.	श्रीमती वंदना श्रीवास्तव	सहायक प्राध्यापक रसायन
18.	श्रीमती सस्मिता बरगाह	सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र
19.	श्री प्रवीण बसंत पाण्डेय	सहायक ग्रेड - 02
20.	श्री मंगेश देवपुजारी	सहायक ग्रेड - 03
21.	श्री के.के. कश्यप	सहायक ग्रेड - 03
22.	श्री पी.के. बेले	प्रयोगशाला तकनीशियन
23.	श्री सरजय भोंसले	प्रयोगशाला तकनीशियन
24.	श्री बी.एल. साव	प्रयोगशाला परिचारक
25.	श्री अश्वनी नेताम	प्रयोगशाला परिचारक
26.	श्री संजय साहू	प्रयोगशाला परिचारक
27.	श्री बृजेश कुर्रे	प्रयोगशाला परिचारक
28.	श्री जी.पी. यादव	बुक लिफ्टर
29.	श्री आर.एल. यादव	भृत्य
30.	श्रीमती त्रिवेणी साहू	भृत्य
31.	श्री मनोज धीवर	चौकीदार
32.	श्री एन.के. भार्गव	स्वीपर

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

संलग्न - 1

छात्र/छात्रा का शपथ-पत्र

1. मैं ..... (छात्र का नाम प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित)
पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती .....
शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 209 प्राप्त की, उसको सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा ।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ ।

3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूं जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूं/देती हूं अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूं या षड़यंत्र करता/करती हूं तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है ।

4. मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूं कि -
   - अ. मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जो कि कंडिका-3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो ।
   - ब. मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका-3 के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो ।

5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता/देती हूं कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूं तो मेरे विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं घोषणा करता/करती हूं कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और ना ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड़यंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा का दिनांक ..... माह ..... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम .....
कक्षा .....
मो.नं. .....

सत्यापन

मैं सत्यापन करता/करती हूं कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

सत्यापन का (स्थान) .....(दिन) ..... (माह) ..... (वर्ष) .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) ..... माह ..... वर्ष..... को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई ।

शपथ आयुक्त

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

संलग्न - 2

माता-पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती..... (माता-पिता/अभिभावक का नाम) श्री/कु. ..... (छात्र का पूरा नाम, प्रवेश, पंजीयन/नामांकन सहित) **शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)** में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूं कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा ।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ ।
3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंगा को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।
4. मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूं कि -
   - अ. मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपरधन में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका-3 के अंतर्गत आता है ।
   - ब. मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा जो कंडिका-3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो ।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है ।
6. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपरध के कारण देश की किसी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया ।

घोषणा का दिनांक ..... माह ..... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम .....
कक्षा .....
फोन/मो.नं. .....

सत्यापन

मैं सत्यापन करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

सत्यापन का (स्थान) .....(दिन) ..... (माह) ..... (वर्ष) .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) ..... माह ..... वर्ष..... को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई ।

प्राचार्य
शा.मदनलाल शुक्ल महा.वि.
सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.

शपथ आयुक्त

महाविद्यालयीन गतिविधियाँ

महाविद्यालयीन गतिविधियाँ